मा0 उच्चतम न्यायालय से संबंधित/
शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-31/2018/जी0आई0-117/60-3-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2018

विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-1224/2017 इनीशियेटिव फॉर इन्क्लूजन फाउण्डेशन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-16/16/2017-डब्ल्यू0डब्ल्यू0/(ई-45807), दिनांक 06.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-1224/2017 इनीशियेटिव फॉर इन्क्लूजन फाउण्डेशन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य वाद में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 का प्रभावी क्रियान्वयन कराये जाने हेतु अपेक्षित स्तरों पर आन्तरिक परिवाद समितियों तथा स्थानीय परिवाद समितियों के गठन की कार्यवाही अतिशीघ्र कराने तथा उक्त अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के क्रियान्वयन, मासिक प्रगति रिपोर्ट, समिति के गठन तथा शिकायतों के निस्तारण संबंधी आख्या शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-जी0आई0-117 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से कि अपने विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों में वांछित कमेटी के गठन/शिकायत प्राप्ति/उक्त के निस्तारण के संबंध में समेकित सूचना निदेशक, महिला कल्याण को कृपया प्राथमिकता पर उपलब्ध करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- समस्त जिलाधिकारीगण को इस आशय से कि जनपद स्तर पर "लोकल कम्पलेन्ट कमेटी" के गठन एवं महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अनुपालन के संबंध में अपनी सूचना निदेशक, महिला कल्याण को कृपया प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायें।

3- निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय से कि प्रकरण में भारत सरकार को प्रेषणार्थ वांछित सूचना यथाशीघ्र शासन को कृपया उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।